हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बाबूलाल वगैरा बनाम सरकार

धारा 131

पेशी दिनांक 5/2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 131 भू.राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर ग्राम तनावडा के खसरा नम्बर 112/12, 112/13 एव 112/07 को आर्नॅलाइन तरमीम गलत दर्ज कर दी गई जिसे शुद्व एव दुरस्त किए जाने का निवेदन किया गया जिसमे साथ आर्नॅलाइन तरमीम एव गूगल मानचित्र पेश किया। प्रार्थी के प्रार्थना पर तहसीलदार लूणी से मौका रिपोर्ट एव तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लूणी द्वारा हल्का पटवारी मोगडा कला द्वारा मौके की मौका फर्द दिनाक 25.02.2022 पेश की एव मौके की स्थिति एव रेकार्ड की स्थिति की अनुशंषा की गई। सुना गया एव पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा ग्राम तनावडा के खसरा नम्बर 112/12, 112/13 एव 112/7 की आर्नॅलाइन तरमीम जो अशुद्व है जिसे शुद्व किये जाने का निवेदन किया जिसके साथ उपरोक्त खसरान् बाबत प्रार्थी के पक्ष मे बेचाननामो की फोटो प्रतिया पेश कर जिसमे उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के जरिये रजिस्ट्रे विकय पत्र के कय करना प्रकट होता है तथा हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.02.2022 मे नजरी नक्शा मे भी उक्त खसरा की स्थिति स्पष्ट की एव तहसीलदार लूणी की अनुशंषा दिनाक 18.04.2022 मे वर्तमान तरमीम की स्थिति एव प्राभवित तरमीम का नजरी नक्शा पेश किया जो समरूप नही है तथा हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट भी वर्तमान ऑनलाइन तरमीम से गलत प्रकट होता है इन तमाम परिस्थितियो मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रकट होता है जिसमे राजस्व नक्शे मे अकित तरमीम पुर्ण रूप से मौके अनुसार हो जाने से किसी प्रकार के विवाद की सभावना नही रहती है। तथा खसरा नम्बर 112/7 के खातेदार बाबुलाल द्वारा सहमती प्रदान की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम तनावडा के खसरा नम्बर 112/12, 112/13 व 112/7 को ऑनलाइन तरमीम को शुद्व किया जावे एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम दुरस्त किये जावे तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते है कि प्रभावित नक्शा इस आदेश का भाग समझा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए —